न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : पर्वत सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 13/22 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2022/44

अनवान्

1.श्री मांगीलाल पिता कसना अहीर निवासी दोलतपुरा (सालेडा), तहसील कानोड, जिला उदयपुर।
2.श्री किशनलाल पिता भूरालाल अहीर निवासी दोलतपुरा (सालेडा), तहसील कानोड, जिला उदयपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री हरिराम पिता नारायणलाल अहीर निवासी दोलतपुरा (सालेडा), तहसील कानोड, जिला उदयपुर।
2. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
3. श्रीमती कमली बाई पत्नि मिठूलाल ब्राहम्ण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
4. श्रीमती गुलाबी बाई पुत्री रामा अहीर निवासी दोलतपुरा (सालेडा), हाल मुकाम पदमपुरा तहसील डुंगला, जिला चित्तौडगड।
5. श्रीमती देउ बाई पत्नि नानालाल मेनारिया ब्राहम्ण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
6. श्री देवीलाल पिता पेमा अहीर निवासी दोलतपुरा (सालेडा), तहसील कानोड, जिला उदयपुर।
7. श्री धर्मेश पिता देवीलालजी अहीर निवासी दोलतपुरा (सालेडा), तहसील कानोड, जिला उदयपुर।
8. श्रीमती धापूकूंवर पत्नि कालु सिंह राजपूत निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
9. श्री पृथ्वीराज पिता पेमाजी अहीर निवासी दोलतपुरा (सालेडा), हाल तहसील कानोड, जिला उदयपुर।
10. श्रीमती पुष्पा पत्नि मोतीलाल जोशी मेनारिया निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
11. श्रीमती पुष्पा पत्नि मदनलाल मेनारिया निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
12. श्री बंशीलाल पिता रामलाल मेनारिया निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
13. श्री भेरूलाल पिता गंगाराम अहीर निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
14. श्रीमती मिठूबाई पुत्री रामा अहीर निवासी दोलतपुरा (सालेडा), तहसील कानोड, जिला उदयपुर।
15. श्री मोहनलाल पिता उदयलाल अहीर निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
16. श्रीमती लीला बाई पत्नि कन्हैयालाल मेनारिया निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
17. श्रीमती शान्ताकूंवर पत्नि भंवरसिंह राजपूत निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
18. श्री सेणमल पिता रामलाल जोशी निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
19. श्रीमती सोहनी बाई पत्नि दयाराम ब्राहम्ण निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.....विपक्षीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.01.15 16:50:41 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित–1. श्री लक्ष्मण गिरी गोस्वामी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री विकाश जोशी, अधिवक्ता विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांकः–09.10.2023

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा कलवल, पटवार हल्का वरणी, भू–अभि.नि.क्षेत्र – वडगांव, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.) में खाता नंबर नये 55 की आराजी नंबर 751 सं

770 कुल किता 20 रकवा 1.1700 हैक्टेयर स्थित है जिसमें प्रार्थी संख्या 1 मांगीलाल के 17/270 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 किशनलाल के नाम 13/135 हिस्सा, मुल वाद में विपक्षी संख्या 1 कमली वाई के नाम 11/540 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 गुलावी बाई के नाम 1/15 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 देउ वाई के नाम 1/45 हिस्सा, विपक्षी संख्या 4 देवीलाल के नाम 1/42 हिस्सा, विपक्षी संख्या 5 धर्मेश के नाम 17/1350 हिस्सा, विपक्षी संख्या 6 धापुबाई के नाम 13/540 हिस्सा, विपक्षी संख्या 7 पृथवीराज के नाम 1/42 हिस्सा, विपक्षी संख्या 8 पुष्पा के नाम 1/54 हिस्सा, विपक्षी संख्या 9 पुष्पा पत्नि मदनलाल के नाम 1/20 हिस्सा, विपक्षी संख्या 10 वंशीलाल के नाम 73/1350 हिस्सा, विपक्षी संख्या 11 भेरूलाल के नाम 1/18 हिस्सा, विपक्षी संख्या 12 मिठूवाई के नाम 1/15 हिस्सा, विपक्षी संख्या 13 मोहनलाल के नाम 1/18 हिस्सा, विपक्षी संख्या 14 लीला वाई के नाम 1/21 हिस्सा, विपक्षी संख्या 15 शान्ताकूंवर के नाम 13/540 हिस्सा, विपक्षी संख्या 16 सेणमल के नाम 1/27 हिरासा, विपक्षी संख्या 17 सोहनी वाई के नाम 1/21 हिस्सा, विपक्षी संख्या 18 हरिराम के नाम 4/21 हिस्सा हक अधिकार होकर मौके पर संयुक्त आधिपत्य चला आ रहा है।

2. यह कि प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात् प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के सयुंक्त खातेदारी, सयुंक्त स्वामित्व, सयुंक्त आधिपत्य की होकर उक्त भूमि का प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य कानूनी रूप से अभी तक विभाजन नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में मूल दावे के प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 18 के मध्य मिट्स एवं बाउण्ड्स के जरिये विपक्षी संख्या 19 के विभाजन कराना चाहते है और वादग्रस्त आराजी के मिन नंबर डलवाये जाकर हिस्से अनुसार राजस्व रेकर्ड में अलग–अलग अंकन कराया जाना न्याय हित में आवश्यक है तथा हिस्से अनुसार लगाना का वरफाल कराया जाना भी आवश्यक है।

3. कि उक्त कलम नंबर दो में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की पुश्तेनी भूमि होकर अपने वाप दादाओं के वक्त से चली आ रही है जिसका खातेदारों के मध्य मिट्स एवं बाउण्ड्स से विभाजन किया हुआ नहीं होने से प्रार्थीगण को ऋण लेने, लगान जमा कराने, भूमि का विकास करने, भूमि को समपरिवर्तन कराने में दिक्कत आ रही है तथा विपक्षी पक्ष प्राथीगण के हिस्से में आए दिन दखलअंदाजी कर रहे है, कभी घास तो कभी पाली को हांक कर नुकसान पहूंचाते है तो कभी फसल, बाड पैडो को नुकसान पहूंचाते है ओर मना करने पर भी नहीं मान रहे है। अतः विपक्षी को राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाय रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.01.15 16:50:41 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी सं. 2 द्वारा जवाब पेश करना नहीं चाहा। विपक्षी संख्या 2, 3, 5, 10 ... 13, 15, 16, 18, 19 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं करना चाहा। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश किया गया जो इस प्रकर है कि प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण व विपक्षीगण के हिस्से अंकित किये गये है जो सही होने से स्वीकार हैं परन्तु मौके पर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण का अपने अपने हिस्से अनुसार कब्जा है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण अपने अपने हक हिस्से की भूमि पर काविज हो काश्त करते चले आ रहे हैं, उक्त भूमि पर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगणों का कब्जा उपयोग उपभोग चला आ रहा है। उक्त

वाद वर्णित भूमि का हिस्से, कब्जे अनुसार विभाजन किया जाता है विपक्षी को कोई आपति नहीं है।

5. यह कि वाद वर्णित जायदाद पुश्तैनी भूमि होना स्वीकार है, जिनका विभाजन हिस्से कब्जे अनुसार कर रखा है तथा तथाकथित दिनांक को विपक्षी द्वारा प्रार्थीगणों को कोई धमकी नहीं दी, न ही प्रार्थीगणों के हक अधिकारों को कोई चुनौती दी है। प्रार्थीगण ने वाद प्रस्तुत करने के लिये मिथ्या तथ्य अंकित किये है जो गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगणों के मध्य वाद वर्णित भूमि का अपने अपने हक कब्जे अनुसार विभाजन किया हुआ होकर कई वर्षो से अपने हक हिस्से अनुसार उक्त भूमि का उपयोग उपभोग किया जा रहा है ऐसी स्थिति में यदि मौका हिस्सा कब्जा अनुसार बंटवाडा किया जाता हैं तो विपक्षी को कोई आपति नहीं है। विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण को किसी प्रकार से उनके हक अधिकारों को चुनौती नहीं दी गई है।

6. यह कि विपक्षी द्वारा मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है न ही भूमि को हस्तान्तरित की जा रही है उसके उपरान्त भी यदि माननीय न्यायालय द्वारा मूल दावे के निस्तारण तक वाद वर्णित भूमि के संबंध में कोई आदेश पारित किया जाता है तो मुझे कोई आपति नहीं है। अतः प्रार्थना है कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा स्वीकार फरमाया जावें एवं प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

7. हमने प्रकरण में उभयपक्ष की बहस को सुना। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया। हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया दस्तावेज का अध्ययन किया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णय के लिए तीनों बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है

1. **प्रथम दृष्टया मामला :–** उक्त प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात वर्तमान में प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की सामलाती खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण के हिस्से में दखलअंदाजी करने व प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि अन्य लोगो को हस्तान्तरित किये जाने की धमकिया दिये जाने से विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया है। विपक्षीगण द्वारा मौके पर मौखिक बंटवाडा होने एवं अपने हक हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने व किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं किये जाने का कथन कहा गया है। वर्तमान मे प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की सामलाती भूमि होने से हर एक इंच पर हर एक [illegible] अधिकार है। अतः प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में [illegible] उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

2. **अपूरणीय क्षति :–** प्रार्थनाग्रस्त भूमि सामलाती होने से [illegible] पक्षकारान का हक हिस्सा निहित है। प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

3. **सुविधा संतुलन :–** प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति के बिन्दु उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.01.15 16:50:41 IST
Reason: SelfAttested

8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा विपक्षी के विरूद्ध मूल वाद में बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में अविभाजीत कृषि भूमि होकर प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य सामलाती खातेदारी से दर्ज है जिससे प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का अधिकार है जिससे उभय पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाना उचित प्रतित होता है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति भी उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा कलवल, पटवार हल्का वरणी, भू—अभि.नि.क्षैत्र — बडगांव, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.) में खाता नंबर नये 55 की आराजी नंबर 751 से 770 कुल किता 20 रकवा 1.1700 हैक्टेयर भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.01.15 16:50:41 IST
Reason: SelfAttested